



Date: 29.08.2026

To
The Manager, Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip Code: 537524

Sub: Newspaper Publication - Notice of 41ST Annual General Meeting

Ref: Redmax Footwears Limited (Formerly Known as Viaan Industries Limited) (Scrip Code: BSE: 537524).

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. we enclose herewith the copies of Newspaper publication in respect of forthcoming 41st Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") on Wednesday, 23rd September, 2026 in the following newspapers:

- (a) Financial Express (English) - dated 29th August, 2026
- (b) Jansatta (Hindi) newspapers - dated 29th August, 2026

This is also to bring to your notice that the Name of the Company has been Changed from Viaan Industries Limited to Redmax Footwears Limited via Ministry of Corporate Affairs letter dated 05.05.2025, the company is in process of change of name with this stock exchange.

Therefore, this intimation is on the latest letterhead of Redmax Footwears Limited (formerly known as Viaan Industries Limited).

Kindly take the above information on record and oblige.

REDMAX FOOTWEARS LIMITED

Formerly Known As Viaan Industries Limited

Regd. Office 5th Floor, Unit No 507, Aggarwal Millenium Tower I, Netaji shubhash Place , Pitampura, Shakur Pur I Block, North West Delhi, 110034

CIN No. : L15201DC1982PLC469647

 www.redmaxindia.com
 +91 9891199159, 011 66665522
 cs@redmaxindia.com/accounts1@redmaxindia.com



Thanking You,

Yours faithfully,

**For REDMAX FOOTWEARS LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS VIAAN INDUSTRIES LIMITED)**

TEENA Digitally signed
by TEENA GOEL
GOEL Date: 2026.08.29
12:18:10 +05'30'

Teena Goel
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. ACS 52336

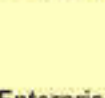
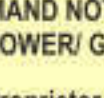
REDMAX FOOTWEARS LIMITED

Formerly Known As Viaan Industries Limited

Regd. Office 5th Floor, Unit No 507, Aggarwal Millenium Tower I, Netaji shubhash Place , Pitampura, Shakur Pur I Block, North West Delhi, 110034

CIN No. : L15201DC1982PLC469647

केनरा बैंक A Government of India Undertaking		
ASSET RECOVERY MANAGEMENT BRANCH, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005 PH-011-28751723, 28754731 Email : cb2365@canarabank.com		
Ref: ARM1-TECON-13(2)-2026	DEMANDNOTICE [SECTION 13(2)]	CERSAI ID : 400083365743 & 400084433833 Date: 25.08.2026
TO BORROWER/ GUARANTOR/MORTGAGOR		
To,		
1. M/s Tecon Projects Pvt Ltd (Borrower) AT: Flat No 516, 1st floor, Pocket - C, Sarita Vihar, New Delhi-110044 2. Shri. Vidur Kohli S/o Shri Navin Kohli (Guarantor), For self and legal heir of deceased Smt. Ashita Kohli (Another Guarantor) AT: 103, Friends Colony (E), New Delhi – 110065 3. Shri. Vipul Kohli S/o Shri. Navin Kohli (Guarantor), For self and one of the legal heirs of deceased Smt. Ashita Kohli (Another Guarantor) AT: 103, Friends Colony (E), New Delhi – 110065 4. Shri. Navin Kohli S/o Shri. Shyam Sunder Kohli (Guarantor), For self and one of the legal heirs of deceased Smt. Ashita Kohli (Another Guarantor) AT: 103, Friends Colony (E), New Delhi – 110065 5. Mr. Anil Sood S/o Shri Baldev Sood (Guarantor), For self and one of the legal heirs of deceased Smt. Laxmi Sood (Another Guarantor). AT: S-316, Greater Kailash – I, New Delhi – 110048, Also at Flat No 516, 1st floor, Pocket - C, Sarita Vihar, New Delhi-110044 6. M/s Pranav Comtech Pvt Ltd AT: 103, Friends Colony (E), New Delhi (Corporate Guarantor) Also at: B 159 Sector 63 Noida-201307		
Dear Sir, Sub: Notice issued under Section 13(2) of the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002.		
The undersigned being the Authorized Officer of Canara Bank, Asset Recovery Management Branch (hereinafter referred to as "the secured creditor"), appointed under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, (hereinafter referred to as "the Act") do hereby issue this notice to you as under: That M/s TECON PROJECTS PVT LTD (hereinafter referred to as "the Borrower") has availed credit facility / facilities stated in the Schedule A hereunder and has entered into the security agreements in favour of the secured creditor. While availing the said financial assistance, you have expressly undertaken to repay the loan amounts in accordance with the terms and conditions of the above-mentioned agreements. That SH. VIDUR KOHLI, VIPUL KOHLI, NAVEEN KOHLI, ASHITA KOHLI (NOW DECEASED), ANIL SOOD, LAXMI SOOD (NOW DECEASED) & PRANAV COMTECH PVT LTD. (hereinafter referred to as "the Guarantor") has guaranteed the payment on demand of all moneys and discharge all obligations and liabilities owing or incurred to the secured creditor by the Borrower for credit facilities up to the limit of Rs. 4,24,00,000/- (Rupees Four Crores Twenty-Four Lakhs Only) with interest thereon through guaranteed agreements executed as follows:		
Guarantee Document	Date of Agreement	Guarantor
NF 370 & NF 371	25.08.2008	VIDUR KOHLI
NF 370 & NF 371	25.08.2008	VIPUL KOHLI
NF 370 & NF 371	25.08.2008	NAVEEN KOHLI
NF 370 & NF 371	25.08.2008	ASHITA KOHLI (NOW DECEASED)
NF 370 & NF 371	25.08.2008	ANIL SOOD
NF 370 & NF 371	25.08.2008	LAXMI SOOD (NOW DECEASED)
NF 370 & NF 371	25.08.2008	PRANAV COMTECH PVT LTD

 कनारा बैंक NOT FOR RPT	 Canara Bank A Government of India Undertaking	ASSET RECOVERY MANAGEMENT BRANCH, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005 PH-011-28751723, 28754731 Email : cb2365@canarabank.com
Ref: ARM-SCE:AY:2026-27		Date: 24.08.2026
DEMAND NOTICE [SECTION 13(2)] TO BORROWER/ GUARANTOR/MORTGAGOR		
To,		
1. M/s S C Enterprises (Through its Proprietor) Shop No. 8 Dagar Market, Main Pataudi Road, Gurgaon (Haryana)-122001		
2. M/s S C Enterprises (Through its Proprietor) B-121, Galli No.-3, Gurukul Industrial Area, Faridabad (Haryana)-121003		
3. The Legal Heirs of Late Subhash Chand S/o Bhawan Dass (Proprietor) Shop No. 8 Dagar Market, Main Pataudi Road, Gurgaon (Haryana)-122001		
4. The Legal Heirs of Late Subhash Chand S/o Bhawan Dass (Director Macnes General Trading Pvt. Ltd.) C/o HNO. 40, Sector 46, Faridabad (Haryana)-122001		
5. M/s Macnes General Trading Pvt. Ltd. (Guarantor) / Mortgageor Unit 815 Aggarwal Cyber Plaza-1, Plot no. C-4-5.6 Netaji Subhash Place District Centre, Delhi-110034		
6. Mr. Kiran Wadhawan S/o Surender Wadhawan (Director Macnes General Trading Pvt. Ltd) (Guarantor) C/o HNO. SK - 55, 3rd Floor, Shakti Nagar (New Delhi)-122001		
7. Mr. Sunil Kumar Sharma S/o Kanahya Lal Sharma (Guarantor) Mohalla Chauthiya Patti, Kasba and Tehsil Jewar, Distt. Gautam Budh Nagar U.P. - 203135		
Dear Sir/ Madam,		
Notice issued under Section 13(2) of the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002.		
The undersigned being the Authorized Officer of Canara Bank, Asset Recovery Management branch(hereinafter referred to as "the secured creditor"), appointed under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, (hereinafter referred as the "Act") do hereby issue this notice to you as under:		
That you address No. 1 to 3 i.e., M/s S C Enterprises (Through its Proprietor) (hereinafter referred to as "the Borrower") has availed credit facility / facilities stated in the Schedule A hereunder and has entered into the security agreements in favour of the secured creditor. While availing the said financial assistance, you have expressly undertaken to repay the loan amount/s in accordance with the terms and conditions of the above mentioned agreements.		
That you addresses No. 4 to 7, (hereinafter referred to as "the Guarantor") has guaranteed the payment on demand of all moneys and discharge all obligations and liabilities owing or incurred to the secured creditor by the Borrower for credit facilities up to the limit as stated in Schedule A with interest thereon.		
You are also entered into agreements against the secured assets which are detailed in Schedule B hereunder. However, from July 2017, the operation and conduct of the said financial assistance / credit facilities have become irregular. The books of account maintained by the secured assets shows that the liability of the Borrower towards the secured creditor as on (as mentioned in Schedule C) amounts to Rs. 20,09,08,799.25 (Rupees Twenty Crores Twenty Nine Lakhs Eight Thousand Seven hundred and Ninety nine and paise twenty five only) + further interest + expenses, the details of which are stated in Schedule C hereunder. It is further stated that the Borrower/Guarantor having failed to keep up with the terms of the above said agreement in clearing the dues of the secured creditor within the time given, and have been evasive in settling the dues. The operation and conduct of the above said financial assistance / credit facilities have coming to a standstill and as a consequence of the default committed in repayment of principal debt/ instalment and interest thereon, the secured creditor was constrained to classify the debt as Non Performing Asset (NPA) as on 30.10.2017 in accordance with the directives/guidelines relating to asset classification issued by the Reserve Bank of India.		
The secured creditor through this notice brings to your attention that the Borrower has failed and neglected to repay the said dues/ outstanding liabilities and hence hereby demand you under Section 13(2) of the Act, by issuing this notice to discharge in full the liabilities of the Borrower as stated in Schedule C hereunder to the secured creditor within 60 days from the date of receipt of this notice. Further, it is brought to your notice that you are also liable to pay future interest at the rate as per bank guidelines together with all costs, charges, expenses and incidental expenses with respect to the proceedings undertaken by the secured creditor in recovering its dues.		

Please take note of the other that if you fail to repay to the secured creditor the aforesaid sum of Rs. 20,29,08,799.25 (Rupees Twenty Crores Twenty Nine Lakhs Eight thousand Seven hundred and Ninety nine and paise twenty five only) + further interest + expenses as stated above in terms of this notice under Section 13(2) of the Act, the secured creditor will exercise all or any of the rights detailed under sub-section (4)(a) and (b) of the Section 13, the extract of which is given here below to convey the seriousness of this issue:

13(4)- In case the Borrower/Guarantor fails to discharge liability in full within the period specified in sub-section (2), the secured creditor may take recourse to one or more of the following measures to recover his secured debt, namely:

- Take possession of the secured assets of the Borrower/Guarantor including the right to transfer by way of lease, assignment or sale for realizing the secured asset;
- Take over the management of the business of the Borrower including the right to transfer by way of lease, assignment or sale for realizing the secured asset.

Provided that the right to transfer by way of lease, assignment or sale shall be exercised only where the substantial part of the business of the Borrower is held as security for the debt;

Provided further that where the management of whole of the business or part of the business is severable, the secured creditor shall take over the management of such business of the borrower which is related to the security for the debt; and under other applicable provisions of the said Act.

Your attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

You are also put on notice that in terms of section 13(13) the Borrower/Guarantor shall not transfer by way of sale, lease or otherwise the said secured assets detailed in Schedule B hereunder without obtaining written consent of the secured creditor. It is further brought to your notice that any contravention of this statutory injunction/ restraint, as provided under the said Act, is an offence and if for any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realized shall be deposited with the secured creditor. In this regard you shall have to render proper accounts of such realization of income.

This notice of demand may without prejudice to and shall not be construed as waiver of any other rights or remedies which the Secured creditor may have including further demands for the sums found due and payable by you. This is without prejudice to any other that if you fail to comply to the secured creditor under the Act and/or any other law in force.

Please comply with the demand under this notice and avoid all unpleasantness. In case of non-compliance, further needful action will be resorted to, holding you liable for all costs and consequence.

All earlier SARFAESI demand notices issued for the subject account are hereby withdrawn.

SCHEDULE – A
[Details of the credit facility/ies availed by the Borrower]

S N	Loan No.	Nature of Limit	Date of sanction	Amount
1	82101400000390	SOD SyndMSE	20.02.2016	5,00,00,000/-

SCHEDULE – B
(Details of Security Assets)

SN	Immovable	Name of the title holder
1.	Non Agriculture Plot Property in Kharsa No. 197, Measuring area 5749 Square meters situated in Village Shargundpur, Gair Abad, Near Village Chaurhapur, Ramghat road, Pargana & Tehsil- Atrauli, District Aligarh, Uttarpradesh – 202281 with the following boundaries : North: Khet of Munni Lal East: Khet of Sonpal South: Khet of Tejveer Singh West: Ramghat Road	M/s Macnes General Trading Pvt. Ltd.

SCHEDULE – C
[Details of outstanding liability as on date]

SN	LOAN NO	NATURE OF LOAN/LIMIT	LIABILITY WITH INTEREST	RATE OF INTEREST
1	82101400000390	SOD SyndMSE	Rs.20,29,08,799.25 as on 31.07.2026	11.25% + penal interest

Authorised Officer, Canara Bank

Sl No.	Details of Secured Assets	Name of Title holder
1.	EMT of flat No 516, 1st floor, Pocket C, Sarita Vihar, New Delhi-110044. Area is 125 Sq mtr.	Mr. Anil Sood S/o Shri Baldev Sood.
2.	EMT of land & building consisting of three storey industrial building, consisting of basement, ground floor, first floor and second floor on leasehold property bearing no. B 159 Sector 63 Noida in the name of Pranav Comtech Pvt Ltd. Area is 925 Sq Mtr; with boundaries as under. NORTH: Plot No. B-136 SOUTH: 30 mtrs Road, EAST: Plot No. B-160 WEST: Plot No. B-158	M/s Pranav Comtech Pvt Ltd

However, from **October 2009**, the operation and conduct of the said financial assistance / credit facilities have become irregular. The books of account maintained by the secured creditor shows that the liability of the Borrower towards the secured creditor as on date amounts to **Rs. 27,35,95,140.62 (Rupees Twenty Seven Crores Thirty-Five Lakhs Ninety-Five Thousand One Hundred Forty and Sixty-Two Paise Only)** + further interest + expenses incurred thereafter, the details of which are stated in **Schedule 'C'** hereunder. It is further stated that the Borrower/Guarantors having failed to keep up with the terms and the above said agreements in clearing the dues of the secured creditor within the time given and have been evasive in settling the dues. The operation and conduct of the above said financial assistance / credit facilities having come to a standstill and as a consequence of the default committed in repayment of principal debt/ instalment and interest thereon, the secured creditor was constrained to classify the debt as Non-Performing Asset (NPA) as on **14.12.2009** in accordance with the directives/guidelines relating to asset classification issued by the Reserve Bank of India.

The secured creditor through this notice brings to your attention that the Borrower has failed and neglected to repay the said dues/ outstanding liabilities and hence hereby demand you under Section 13(2) of the Act, by issuing this notice to discharge in full the liabilities of the Borrower as stated in **Schedule C** hereunder to the secured creditor **within 60 days from the date of receipt of this notice**. Further, it is brought to your notice that you are also liable to pay future interest at the rate of **16.10% (TL) & 18.50% (DPN)** as per bank guidelines together with all costs, charges, expenses and incidental expenses with respect to the proceedings undertaken by the secured creditor in recovering its dues.

Please take note of the fact that if you fail to repay to the secured creditor the aforesaid sum of **Rs. Rs. 27,35,95,140.62 (Rupees Twenty Seven Crores Thirty Five Lakhs Ninety Five Thousand One Hundred Forty and Sixty Two Paise Only) + further interest + expenses incurred thereafter**, as stated above in terms of this notice under Section 13(2) of the Act, the secured creditor will exercise all or any of the rights detailed under sub-section 14(a) and (b) of Section 13, the extract of which is given here below to convey the seriousness of this issue:

13(4)- In case the Borrower/Guarantor fails to discharge liability in full within the period specified in sub-section (2), the secured creditor may take recourse to one or more of the following measures to recover his secured debt, namely;

- Take possession of the secured assets of the Borrower/Guarantors including the right to transfer by way of lease, assignment or sale for realizing the secured asset;
- Take over the management of the business of the Borrower including the right to transfer by way of lease, assignment or sale for realizing the secured asset;

Provided that the right to transfer by way of lease, assignment or sale shall be exercised only where the substantial part of the business of the Borrower is held as security for the debt;

Provided further that where the management of whole of the business or part of the business severable, the secured creditor shall take over the management of such business of the borrower which is releasable to the security for the debt;

and under other applicable provisions of the said Act.

Your attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

You are also put on notice that **in terms of section 13(13) the Borrower/Guarantors shall not transfer by way of sale, lease or otherwise the said secured assets detailed in Schedule B hereunder without obtaining written consent of the secured creditor**. It is further brought to your notice that any contravention of this statutory injunction/ restraint, as provided under the said Act, is an offence and if for any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realized shall be deposited with the secured creditor. In this regard you shall have to render proper accounts of such realization / income.

This notice of Demand is without prejudice to and shall not be construed as waiver of any other rights or remedies which the secured creditor may have including further demands for the sums found due and payable by you.

This is without prejudice to any other rights available to the secured creditor under the Act and/or any other law in force.

Please comply with the demand under this notice and avoid all unpleasantness. In case of non-compliance, further needful action will be resorted to, holding you liable for all costs and consequence.

Further, without prejudice to the rights of the bank/secured creditor, previous demand notice dated 19/11/2024 stands withdrawn in tune with order dated 09.06.2025 in S.A. No. 189/2025 titled as 'Pranav Comtech Pvt. Ltd. & Ors. Versus Canara Bank & Anr.' issued by Hon'ble DRT-1, New Delhi; consequent to issuance of this demand notice.

[Details of the credit facility/ies availed by the Borrower]			
S.NO	Loan No.	Nature of Limit	Amount
1	1177256025546	Open Cash Credit	1,00,00,000/-
2	Term Loan	Term Loan	24,00,00,000/-
Total Fund Based(A)			Rs 1,24,00,000/-
1	BG	BG	2,50,00,000/-
2	ILF/FLC	ILF/FLC	50,00,000/-
Total Non Fund Based(B)			Rs 3,00,00,000/-
A+B			Rs 4,24,00,000/-

SCHEDULE -B [Details of security assets]			
S.NO	Details of Secured Assets	Name of Title holder	
1.	EMT of Flat No 516, 1st floor, Pocket - C, Sarita Vihar, New Delhi-110044, Area is 125 Sq mtr.	Mr. Anil Sood S/o Shri Baldev Sood.	
2.	EMT of land & building consisting of three storey industrial building, consisting of basement, ground floor, first floor and second floor on leasehold property bearing No. B-159 Sector 63 Noida in the name of Pranav Comtech Pvt Ltd. Area is 925 Sq Mtr, with boundaries as under- NORTH : Plot No. B-136 SOUTH : 30 mtrs Road EAST : Plot No. B-160 WEST : Plot No. B-158	M/s Pranav Comtech Pvt Ltd	

SCHEDULE -C [Details of liability as on 24.08.2026]				
SN	LOAN NO	NATURE OF LOAN/LIMIT	Total Liability with interest	RATE OF INTEREST
1	1177773000046 (Invoked BG Liability)	Term Loan	9,59,52,599.28	16.10%
2	1177741000191	DPN	17,76,42,541.34	18.50%
TOTAL			27,35,95,140.62	

Authorised Officer, Canara Bank	
---------------------------------	--

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

लद्दाख : गड़बड़ी करने वालों पर उपराज्यपाल सख्त

खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर 10 लाख जुर्माना

लेह/जम्मू, 28 अगस्त (भाषा)।

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खाद्य सामग्री का निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण या बिक्री आदि करने वाले लगभग 8,800 खाद्य व्यापार संचालकों (एफबीओ) को कड़ी चेतावनी दी है कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वालों को गंभीर मामलों में 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।

अधिकारियों के अनुसार, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्देश उपराज्यपाल सक्सेना के आदेश पर प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। लद्दाख में वर्तमान में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के 428 लाइसेंस धारक और 8,855 पंजीकरण धारक मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने सभी खाद्य व्यापार संचालकों (एफबीओ) के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का पालन करना अनिवार्य कर दिया है और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि लद्दाख में निर्मित, प्रसंस्कृत, संग्रहीत, एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले, वितरित या बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थ सुरक्षित, पौष्टिक

और तय मानकों के अनुरूप हों। उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा कि खाद्य सुरक्षा केवल एक कानूनी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक के स्वास्थ्य और भलाई के प्रति एक मौलिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक खाद्य व्यापारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को परोसा जाने वाला भोजन सुरक्षित, स्वच्छ और निर्धारित

मानकों के अनुरूप हो।

जनस्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले किसी भी उल्लंघन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह पूरी कार्रवाई निष्पक्ष, पारदर्शी और पूरी तरह से कानून के दायरे में रहकर की जाएगी। निर्देश के तहत सभी रेस्तरां, होटल, ढाबों और अन्य खाद्य व्यापार संचालकों को ऐसे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण या बिक्री से मना किया गया है जो अनुपशुद्ध, घटिया, भ्रामक लेबल वाले, मिलावटी, दूषित या अपनी इस्तेमाल की अंतिम तिथि पार कर चुके हैं।

नियमों के तहत घटिया भोजन बेचने या मांग के अनुसार गुणवत्ता न देने पर पांच लाख रुपए तथा भ्रामक लेबलिंग पर तीन लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। भ्रामक विज्ञापन देने, गलत जानकारी देने, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मिलावटी सामान रखने और बिना लाइसेंस कारोबार करने पर 10-10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

VAST HOUSING FINANCE	वास्तू हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड युनिट 203 और 204, दूसरी मंजिल, "ए" बिल्डिंग, नवमार्त एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुंबई 400015. महाराष्ट्र सीआईएन नंबर: U65922MH2005PLC272501
--	---

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना		
जहाँकि, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने प्रधान कार्यालय मुंबई के माध्यम से, निम्नलिखित उधारकर्ताओं / गारंटरों / सहायकर्ताओं को नोटिस जारी किया है कि उन्होंने बीएचएफसीएल से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के मूलभूत और बाजार के पुनर्मूल्यांकन में शुद्ध की है और कहा कि सुविधाएं गैर निष्पादित संपत्ति बन गई हैं। उन्हें वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रदान अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात वश पर नोटिस भेजे गए थे, लेकिन वे बिना तामील हुए वापस आ गए, इसलिए उन्हें सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इसकी सूचना दी जा रही है।		
उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता का नाम और ऋण खाता नं.	धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख और राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
चंदा (आवेदक), अखतर (सह उधारकर्ता) MHL000000128220	17.08.2026 रु. 3,64,619/- 17.08.2026 तक और साथ में भारी ब्याज और शुल्कों के साथ	प्लॉट मुंमि क्षेत्रफल 25 वर्ग गज या 20.90 वर्ग मी., खसरा नं. 512 / 2 में से, मसिक सिटी फेज-2, गाँव चंकरवडी क्षेत्र, परगना और तहसील लोनी जिला गाजियाबाद, यू.पी., उत्तर प्रदेश –201102, उत्तर : अन्य का प्लॉट, दक्षिण : 12वीं रोड, पूर्व: अन्य का मांग, पश्चिम – अन्य का मांग
राम आसरे (आवेदक), गीता देवी (सह उधारकर्ता) HL0000000070927	18.08.2026 रु. 2,81,070/- 17.08.2026 तक और साथ में भारी ब्याज और शुल्कों के साथ	खाली आवारासी प्लॉट सं. 8, ब्लॉक बी., महालक्ष्मी गार्डन फेज-1, गाँव महावड़, परगना और तहसील – दादरी, जिला – गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, खसरा नं. 770, माप 60 वर्ग गज, यानी 50.16 वर्ग मीटर, जो बेचा जा चुका है, और मैं, फाहार, हस्तातरणीय कार्यकाल धारक मसिक है और बिक्री विलेख दिनांक 01.02.2021 के आधार पर कच्चे में है, जो पुरातन सं. 1, खंड सं. 16956, प्लॉट सं. 2814316, दरगाजब सं. 4162, आयाम – 15 फीट गुना 36 फीट, प्लॉट सं. 8, क्षेत्र माप 60 वर्ग गज, बी-ब्लॉक, खसरा नं. 770, गाँव महावड़, महालक्ष्मी गार्डन पीएच-1, परगना और तहसील दादरी, उत्तर प्रदेश, 203027 उत्तर – प्लॉट अन्य, दक्षिण – प्लॉट अन्य, पूर्व – प्लॉट अन्य, पश्चिम – सड़क 18 फीट चौड़ी
नोटिस की प्रतिस्थापित सर्विस के लिए कदम चढ़ाए जा रहे हैं। ऊपर बताए गए कर्जदारों, सह-कर्जदारों और/या उनके गारंटर (जहाँ भी लागू हों) को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर बकाया पेमेंट कर दें, ऐसा न करने पर इस नोटिस की तारीख से 60 दिन पूरे होने के बाद, सिविलीयडिजेशन एंड रिकवरीकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एपॉसिमोमेंट ऑफ रिस्क्योरिडी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि यह नोटिस सेवराज 13(13) के तहत भी है, जिसमें कर्जदारों/गारंटरों/गिरदी रखने वालों को सूचित किया जाता है कि गिरदी रखी गई प्रॉपर्टी को बेचा /क्रिएए पर दिए / ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए।		
दिनांक: 29.08.2026, स्थान: दिल्ली		प्राधिकृत अधिकारी, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans	इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अचल संपत्ति के लिए कच्चा सुचना
बुकि, ओवरड्राफ्ट वित्तीय सुविधियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रदान अधिनियम, 2002 के तहत इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिभुक्त अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम के साथ पंजीत धारा 13(2) के तहत प्रदात सुविधियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए उधारकर्ताओं एवं संपत्ति / उधारकर्ता के मासिकों को भी एक नोटिस की प्रतिलिपि को 60 दिनों के उल्लिखित प्रति का अनुपालन करने के लिए यहाँ निर्दिष्ट खातों के सम्बन्ध अतिरिक्त विवरणों को एक मांग नोटिस जारी किया। संपत्ति के मासिकों एवं अन्य द्वारा भिन्न का भुगतान करने में विफल रहने पर, यहाँ निम्नलिखित उधारकर्ताओं और आम उधार को एलएचए नोटिस दिया जाता है कि ओवरड्राफ्ट की उक्त निशियों के नियम ४ और ९ के साथ पंजीत उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उपर प्रदान की गई सुविधा का प्रयोग करते हुए यह ओवरड्राफ्ट प्रदत्त खातों के नियम ४ अधिनियम अतिरिक्त विवरणों को यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति / या पर संचालित /मौजिद अकाउ कर लिया है। विवरण एवं उधारकर्ताओं/उधारकर्ताओं का उक्त उधना को एलएचए प्रदातनी भी जाती है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यहाँ निर्दिष्ट प्रति और उस पर ब्याज, लागत आदि के भुगत के अतिरि होनी।		
उधारकर्ता/गारंटर का नाम (संपत्ति के मासिकों) एवं ऋण खाता संख्या	आवृत्ति / बंधक सम्पत्ति का विवरण (निम्न से चुनकर संपत्ति के समूह चुनके एवं संपत्ति)	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि के अनुसार बकाया राशि
श्री/श्रीमती कमलेश (पत्नी श्री सुरेश कुमार), श्री/श्रीमती सुरेश कुमार (पुत्र श्री ओम प्रकाश), कमलेश पिक देवरी (श्रीमती कमलेश के अल्पान), जय बजरंग पौली पैक प्राइवेट लिमिटेड,कुरुक्षेत्र 128 जीव हिरियाणा 128112	गांव करसिंह, तहसील- सफीली, जिला-जौनपुर में स्थित संपत्ति का समूपूर्ण हिस्सा और कच्चा, जिसमें 167.5 वर्ग गज (यानी 05 मरला 05 सरसही) जमीन शामिल है, जो 34 काला 17 मरला में से 50/6272 हिस्सा है, जो खेदत नंबर 57 खाली नंबर 64 (वर्ष 2015-2016 की जानकारी के अनुसार – डीड के अनुसार) और खेदत नंबर 63 खालीनं 70 तथा खेदत नंबर 15 अलासर नंबर 20(8-0), 21(8-0) और खेदत नंबर 16 किलान नंबर 16(7-0), 25/2(3-0), खेदत नंबर 28, किलान नंबर 1(8-0) (वर्ष 2020-2021 की जानकारी के अनुसार) में आता है। सीमाएं – पूर्व- धर्मवीर (पुत्र ओमप्रकाश) का घर, पश्चिम- रासकुमार (पुत्र तिासमन) का घर, उत्तर- 10 फीट चौड़ी गली, दक्षिण- बलवीर (पुत्र तिासमन) का घर,	मांग सूचना 11-नवंबर-2025 रु. 11,63,020/- (प्याहल लाख तिरसह हजार बीस रुपये मात्र) 11-नवंबर- 2025 तक बकाया, साथ ही 12-नवंबर-2025 से लागू होने वाला ब्याज और भुगतान की तारीख तक अन्य शुल्क व लागत।
श्री/श्रीमती नसीबा (पति मसारी), श्री/श्रीमती नसीबा (पति नसीब सिंह), श्री/श्रीमती सफिया (पिता नसीब), सिसाए, जय, हरियाणा 1286116। ऋण खाता सं LAKACLLONS000005098730 / AP 10232236 (शाखा : राधाना-1)	गाँव सिसार, तहसील नरवाना, जिला जय, हरियाणा-128116 में स्थित 0 कनाल 15.47 मरला (क्षेत्रफल 468 वर्ग गज), कुल 127 कनाल 4 मरला जमीन (खेदत/खाता नंबर 118/138 का 468/76956 हिस्सा वाला एक रिहायशी संपत्ति का समूपूर्ण हिस्सा एवं सीमाएं – पूर्व – खाली (पिता नसीब), पश्चिम – गली, उत्तर – गली (पिता बलराम), दक्षिण – हरियाणा (पिता मसारी राम)।	मांग सूचना 11-जून-2026 रु.19,75,492/- (उनीस लाख पचहत्तर हजार चार बीस बाने रुपये) की उक्त राशि 10.06.2026 तक बकाया है, साथ ही 11.06.2026 से लागू होने वाला ब्याज और भुगतान की तारीख तक अन्य शुल्क व लागत भी देय है।
श्री/श्रीमती पिंकी (पति अमित), श्री/श्रीमती नसीबा (पिता समुंदर सिंह), श्री/श्रीमती अमिता (पिता नसीब सिंह), पितानी 64 जीव हरियाणा 128102, ऋण खाता सं. HLI1SVLONS000005135196/ AP10315620 (शाखा : पानीपत-1)	गाँव निरानी, तहसील और जिला जीव हरियाणा 128102 में स्थित संपत्ति /प्लॉट का समूपूर्ण हिस्सा एवं अथ जिसका 305 वर्ग गज (यानी 10 मरला 1 सरसही) जमीन, जो 4 काला 11 मरला जमीन (खेदत नंबर 359, खालीनं 382, छरसरा नंबर 336, 592, फिडे-2), गैर-मुर्गी कन का 2/18 हिस्सा है। सीमाएं- पूर्व- पूर्व को सिंह (पिता मोहिराम) का घर, पश्चिम- बंध (पिता नायल सिंह), उत्तर- दक्करी (पिता देसा), दक्षिण- आन गली	मांग सूचना 11.05.2026 रू.12,90,260/- (बारह लाख नब्बे हजार दो बी सौ उन्हातर रुपये) की राशि 10.05.2026 तक बकाया है, साथ ही 11.05.2026 से लागू होने वाला ब्याज और भुगतान की तारीख तक अन्य शुल्क व लागत भी देय है।

स्थान: हरियाणा इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए (अधिकृत अधिकारी) किसी भी सवाल के लिए, कृपया श्री सुधीर तोहरा (+91 8018460101) से संपर्क करें।



आर्यामूल बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम मंज, राजपुरी, कोलकाता-700030।
कस्टोडियन पब्लिकेशन सेक्टर: अनील अग्रवाल, टेलीफोन-11, और सहायक प्रबंधक/अध्यक्ष के पद: मोरेश्वर (एम) नं. 400062

स्वर्ण नीलामी सह आमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित कर्जदार को आर्यामूल बैंक लिमिटेड ने प्राप्त करने आग्रहणी के बदले ऋण सुविधा ("सुविधा") की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु मांग पत्र जारी किए गए हैं। बैंक क्रेडिट के अग्रिम बकाया राशि के भुगतान में विलंब किया है, जिस कारणावश हम निम्न तालिका में वर्णित तिथि तक बंधक रखे गए स्वर्ण आभूषणों को नीलामी करने के लिए बाध्य हैं।

यदि इस नीलामी से कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित कर्जदार को वापस कर दिया जाएगा और यदि नीलामी के बाद कोई कर्मी होती है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से कर्जदार से वसूल की जाएगी। आर्यामूल बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के निम्नलिखित खातों को नीलामी से हटाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, आर्यामूल बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी की तिथि बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्र. सं.	खात संख्या	शाखा का नाम	कर्जदार का नाम	स्वर्ण आभूषण का विवरण (ग्राम में)	स्वर्ण नीलामी का स्थान	शाखा प्रबंधक का नाम एवं मोबाइल नं.	नीलामी की तिथि एवं समय
1.	809010094201	सेक्टर 27 चंडीगढ़	यूसील कुमार	कुल सकल भार 57.16 कुल अग्रुदत्ता 1.85 कुल स्टोन भार 1.1 कुल निवल भार 54.41	भुलत, एससीओ 16, सेक्टर 27 ती, चंडीगढ़ - 160019	दिनेश शर्मा 8097723830	05-09-2026 को 02:00 बने और से 05:00 बने अग्र
2.	809011384225	मनीमाजरा साखा	रवि कुमार	कुल सकल भार 48.52 कुल अग्रुदत्ता 2.17 कुल स्टोन भार 0 कुल निवल भार 46.35	भुलत, एससीओ 16, सेक्टर 27 ती, चंडीगढ़ - 160019	हरजीत सिंह 9888498889	25-09-2026 को 02:00 बने और से 05:00 बने अग्र
3.	809010910079	सेक्टर 27 चंडीगढ़	मंदेश कुमार	कुल सकल भार 87.995 कुल अग्रुदत्ता 5.00 कुल स्टोन भार 0 कुल निवल भार 83	भुलत, एससीओ 16, सेक्टर 27 ती, चंडीगढ़ - 160019	दिनेश शर्मा 8097723830	05-09-2026 को 02:00 बने और से 05:00 बने अग्र
4.	809011492525	सेक्टर 27 चंडीगढ़	मंदेश कुमार	कुल सकल भार 12.96 कुल अग्रुदत्ता 0.46 कुल स्टोन भार 0 कुल निवल भार 12.5	भुलत, एससीओ 16, सेक्टर 27 ती, चंडीगढ़ - 160019	दिनेश शर्मा 8097723830	05-09-2026 को 02:00 बने और से 05:00 बने अग्र

चौती सप्ताहे के इशुक व्यक्तिों को शाखा प्रबंधक से संपर्क करना होगा।
विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आर्यामूल बैंक को संबंधित शाखाओं पर जाएं।
स्थान: चंडीगढ़
दिनांक: 29-08-2026

प्राधिकृत अधिकारी

आर्यामूल बैंक लिमिटेड

देश

पीएफआइ सदस्य को जमानत, कोर्ट ने कहा-पेट्रोल बम का वीडियो रखना अपराध नहीं

मुंबई, 28 अगस्त (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन 'पापुलर फ्रंट आफ इंडिया' (पीएफआइ) के एक कथित सदस्य को जमानत दे दी है। अदालत ने उसके खिलाफ गवाहों के बयानों को महत्वहीन बताया और कहा कि सिर्फ फोन में पेट्रोल बम बनाना सिखाने वाले वीडियो का होना कोई अपराध नहीं है।

न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोंसले की पीठ ने कहा कि मोहम्मद इकबाल इब्राहिम खान को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि मुकदमे के जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है। पिछले सप्ताह जारी एक आदेश में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने ऐसा कथित सबूत पेश नहीं किया जिससे खान का कथित अपराधों में शामिल होना साबित हो सके।

रेडमेक्स फुटवेयरर्स लिमिटेड (पूर्व में वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से ज्ञात)	
पंजीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल, युनिट सं. 607, अग्रवाल मीनियम टावर 1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, झकूर पुर 1, ब्लॉक, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, भारत, 110034	
वेबसाइट: www.redmaxindia.com , दूरभाष सं. +91 9899199159, 011 66665522, ईमेल-आईसी: @redmaxindia.com सीआईएन सं. L15201DC1982PLC469647	
41वीं वार्षिक आम बैठक हेतु सदस्यों को सूचना	
एलएचए सुचित किया जाता है कि रेडमेक्स फुटवेयरर्स लिमिटेड (पूर्व में वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (कंपनी) की 41वीं वार्षिक आम बैठक (पंचमवार, 23 सितंबर, 2026 को पूर्वह्न 11:30 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग /अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम की सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, तथा कॉर्पोरेट कानून मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/ 2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 17/ 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 20 दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र सं. 2/ 2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र सं. 19/ 2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, परिपत्र सं. 21/ 2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, परिपत्र सं. 2/ 2022 दिनांक 5 मई, 2022, परिपत्र सं. 10/ 2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और परिपत्र सं. 09 दिनांक 25 सितंबर, 2023 तथा इस समूह में भारतीय प्रतिभूति और विविधता बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 16 जनवरी, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, SEBI/HO/CFD/PO-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 और SEBI/HO/CFD/CFD-PO-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 (जिसे आगे सामूहिक रूप से 'परिपत्र' कहा गया है) के साथ पंजीकृत एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य का निष्पादन किया जाएगा। एजीएम की कार्यवाही हेतु 41वीं एजीएम का माली गई खान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।	
निकै 41वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग /अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (वैसी / ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए बैठक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त वर्णमित परिपत्रों के अनुपालन में, 41वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय सामग्य में, केमेल ई-मेल द्वारा उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जो ईमेल पर डिजिटल/डिजिटल प्रमाणित (डीपीएल) /डिजिटल/डि के साथ पंजीकृत हैं। कंपनी अपने सभी सदस्यों को पूर्व प्रसारित प्रक्रिया के समान वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग तथ्य रिंगेट ई-मेल पर प्रदान कर रही है। यदि आपका ई-मेल पता पहले से ही कंपनी /आरटीए या डीपी /डिजिटल/डि के साथ पंजीकृत है, तो वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आपके पंजीकृत ई-मेल वश पर भेजे जाएंगे। यदि आपने अपना ई-मेल पता कंपनी /आरटीए या डीपी /डिजिटल/डि के साथ पंजीकृत नहीं किया है, तो सूचना और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्रदान करने हेतु अपना ई-मेल पता पंजीकृत करने के लिए कृपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।	
ई-मेल पते एवं बैंक खाते के विवरण का पंजीकरण /अद्यतन:	
भौतिक होल्डिंग	कंपनी के निरूपर्तार एवं अंतरंग अधिकारी, यूल सेक्रेटरी/डी (होडिंग) प्राइवेट लिमिटेड को support@purvashare.com पर विवरण भेजे हुए प्राप्त आईएसएआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एएसए-13, एएसए-14 में हस्ताक्षरित पत्र भेजे, जो हमारी वेबसाइट www.redmaxindia.com/ या आरटीए अमलित यूल सेक्रेटरी/डी (होडिंग) प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट purvashare.com/investor-corner/investor-resourcecenter पर उपलब्ध हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया यूल सेक्रेटरी/डी (होडिंग) प्राइवेट लिमिटेड में हमारे निवेदक संबंध विभाग से ई-मेल support@purvashare.com पर संपर्क करने में कृपया न करें। अंतः, सेक्रेटरी/क के प्रश्न या सेवा अनुरोध इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में बंधक वेबसाइट के माध्यम से संस्तुत किए जाने हैं, जिसका लिंक https://purvashare.com/investor/login/ या 022 4134 3256 / 36 है।
डिजिट होल्डिंग	कृपया अपनी डीपी से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ई-मेल पता और बैंक खाते का विवरण पंजीकृत करें।
ई-वोटिंग संबंधी जानकारी	कंपनी अपने शेयरधारकों को एनएसडीएल द्वारा व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक मतदान सेवाओं के माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों को इस रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मतदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके संबंध में विवरण एजीएम की सूचना में प्रदान किए जाएंगे तथा कंपनी की वेबसाइट http://www.redmaxindia.com/ पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट http://www.redmaxindia.com/ तथा सभी स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। वीसी /ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत प्रत्यक्ष रूप से प्रयोजन के लिए की जाएगी।	
किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य ऊपर उल्लिखित वश एवं ई-मेल आईडी पर आरटीए से संपर्क कर सकते हैं या लिख सकते हैं, जिसकी एक प्रतिलिपि कंपनी को वितरित की जाए।	
ऊपर उल्लिखित परिपत्रों के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट (एजीएम की सूचना सहित) की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तथापि, कोई सदस्य http://www.redmaxindia.com/ पर हमें लिखकर इसकी हार्ड /सॉफ्ट प्रत की मांग कर सकता है। 41वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट http://www.redmaxindia.com/ पर उपलब्ध अमलित यूल सेक्रेटरी/डी (होडिंग) की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल सिक्क्योरिटीज डिजिटल/डि लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।	

रेडमेक्स फुटवेयरर्स लिमिटेड (पूर्व में वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
हरसावर /— टीना गोवाल कंपनी सचिव सीएल 52336
दिनांक: 29.08.2026 स्थान: दिल्ली

AXIS BANK LTD.	एक्सिस बैंक लिमिटेड
एनबीएल कॉर्पोरेशन, प्रमुख क्षेत्र, राजपुरी, कोलकाता-700030। कस्टोडियन पब्लिकेशन सेक्टर: अनील अग्रवाल, टेलीफोन-11, और सहायक प्रबंधक/अध्यक्ष के पद: मोरेश्वर (एम) नं. 400062	एनबीएल कॉर्पोरेशन, प्रमुख क्षेत्र, राजपुरी, कोलकाता-700030। कस्टोडियन पब्लिकेशन सेक्टर: अनील अग्रवाल, टेलीफोन-11, और सहायक प्रबंधक/अध्यक्ष के पद: मोरेश्वर (एम) नं. 400062
स्वर्ण नीलामी सह आमंत्रण सूचना	स्वर्ण नीलामी सह आमंत्रण सूचना
नीचे उल्लिखित कर्जदार को आर्यामूल बैंक लिमिटेड ने प्राप्त करने आग्रहणी के बदले ऋण सुविधा ("सुविधा") की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु मांग पत्र जारी किए गए हैं। बैंक क्रेडिट के अग्रिम बकाया राशि के भुगतान में विलंब किया है, जिस कारणावश हम निम्न तालिका में वर्णित तिथि तक बंधक रखे गए स्वर्ण आभूषणों को नीलामी करने के लिए बाध्य हैं।	नीचे उल्लिखित कर्जदार को आर्यामूल बैंक लिमिटेड ने प्राप्त करने आग्रहणी के बदले ऋण सुविधा ("सुविधा") की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु मांग पत्र जारी किए गए हैं। बैंक क्रेडिट के अग्रिम बकाया राशि के भुगतान में विलंब किया है, जिस कारणावश हम निम्न तालिका में वर्णित तिथि तक बंधक रखे गए स्वर्ण आभूषणों को नीलामी करने के लिए बाध्य हैं।
यदि इस नीलामी से कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित कर्जदार को वापस कर दिया जाएगा और यदि नीलामी के बाद कोई कर्मी होती है, तो शेष राशि उचित कर्जदारों कायदावाही के माध्यम से कर्जदार से वसूल की जाएगी। आर्यामूल बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के निम्नलिखित खातों को नीलामी से हटाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, आर्यामूल बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी की तिथि बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।	यदि इस नीलामी से कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित कर्जदार को वापस कर दिया जाएगा और यदि नीलामी के बाद कोई कर्मी होती है, तो शेष राशि उचित कर्जदारों कायदावाही के माध्यम से कर्जदार से वसूल की जाएगी। आर्यामूल बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के निम्नलिखित खातों को नीलामी से हटाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, आर्यामूल बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी की तिथि बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
आर्यामूल बैंक लिमिटेड	आर्यामूल बैंक लिमिटेड
RBLBANK एनबीएल कॉर्पोरेशन, प्रमुख क्षेत्र, राजपुरी, कोलकाता-700030। कस्टोडियन पब्लिकेशन सेक्टर: अनील अग्रवाल, टेलीफोन-11, और सहायक प्रबंधक/अध्यक्ष के पद: मोरेश्वर (एम) नं. 400062	RBLBANK एनबीएल कॉर्पोरेशन, प्रमुख क्षेत्र, राजपुरी, कोलकाता-700030। कस्टोडियन पब्लिकेशन सेक्टर: अनील अग्रवाल, टेलीफोन-11, और सहायक प्रबंधक/अध्यक्ष के पद: मोरेश्वर (एम) नं. 400062
स्वर्ण नीलामी सह आमंत्रण सूचना	स्वर्ण नीलामी सह आमंत्रण सूचना
नीचे उल्लिखित कर्जदार को आर्यामूल बैंक लिमिटेड ने प्राप्त करने आग्रहणी के बदले ऋण सुविधा ("सुविधा") की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु मांग पत्र जारी किए गए हैं। बैंक क्रेडिट के अग्रिम बकाया राशि के भुगतान में विलंब किया है, जिस कारणावश हम निम्न तालिका में वर्णित तिथि तक बंधक रखे गए स्वर्ण आभूषणों को नीलामी करने के लिए बाध्य हैं।	नीचे उल्लिखित कर्जदार को आर्यामूल बैंक लिमिटेड ने प्राप्त करने आग्रहणी के बदले ऋण सुविधा ("सुविधा") की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु मांग पत्र जारी किए गए हैं। बैंक क्रेडिट के अग्रिम बकाया राशि के भुगतान में विलंब किया है, जिस कारणावश हम निम्न तालिका में वर्णित तिथि तक बंधक रखे गए स्वर्ण आभूषणों को नीलामी करने के लिए बाध्य हैं।
यदि इस नीलामी से कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित कर्जदार को वापस कर दिया जाएगा और यदि नीलामी के बाद कोई कर्मी होती है, तो शेष राशि उचित कर्जदारों कायदावाही के माध्यम से कर्जदार से वसूल की जाएगी। आर्यामूल बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के निम्नलिखित खातों को नीलामी से हटाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, आर्यामूल बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी की तिथि बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।	यदि इस नीलामी से कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित कर्जदार